सीमाज्ञान

राजस्थान सरकार
भू-प्रबन्ध विभाग

क्रमांक: भूअ/सभु/सामान्य/9/13/4/92/ 1201 जयपुर, दिनांक:- 12-4-2001

परिपत्र

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 में सीमाओं के बारे में विवाद होने पर उनका विनिमय करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 23(2) सपठित प्रथम अनुसूचित न्यायिक मामलों की सूची (की क्रम संख्या-4 पर सीमा विवाद अभिलिखित है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर ही सीमा विवादों का निपटारा किया जाए। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र एवं निर्देश जारी किये गये हैं फिर भी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में कुछ भ्रांतियां रह जाने के फलस्वरूप पूर्व प्रेषित परिपत्रों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

(1) सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी में जयपुर व दौसा जिलों को राजस्व ऐजेन्सी को तकनिकी सहयोग देने से सम्बन्धित कार्य सम्पादन हेतु भू-प्रबन्ध पार्टी का गठन मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा।

(2) अन्य भू-प्रबन्ध अधिकारी दलों के यहां सीमाज्ञान में लगाये जाने वाले स्टाफ के आदेश सम्बन्धित भू-प्रबन्ध अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर कर सकेंगे। वे अपने स्तर पर इस कार्य हेतु चैन सर्वेक्षण दल व ई डी. एम. सर्वेक्षण दल गठित कर सूचना मुख्यालय भेजेंगे।

(3) सीमांकन हेतु निर्धारित राशि भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय में जमा की जा सकेगी, लेकिन कोई पक्षकार यदि उक्त राशि मुख्यालय में जमा कराना चाहता है तो वहां भी जमा की जा सकेगी।

(4) पक्षकार जो सीमांकन कार्य करवाने में अपना हित रखता है उसे मद संख्या-0029 भू-राजस्व 800 अन्य मद 13-विविध प्राप्तियों में नियमानुसार भूमापक/निरीक्षक को देय यात्रा-भत्ता, मंहगाई भत्ता एवं देय अन्य परिलाभ अनुमानित खर्च सर्वेक्षण के लिए निर्धारित कुल दिनों के अनुसार एक मुश्त राशि इस मद में जमा करानी होगी। कार्य पूर्ण होने पर जमा करवाई गई राशि यदि अधिक है तो उसे लौटादी जावेगी।

(5) सम्बन्धित भूमापक/निरीक्षक को मौका रिपोर्ट एवं कार्य निस्तारण पर ही नियमानुसार यात्रा-भत्ता मद संख्या 2029 भू-राजस्व-102 सर्वे एवं बन्दोबस्त कार्य (टी) 002-जिला कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न व्यय) 0003 यात्रा व्यय से भुगतान, सम्बन्धित भू-प्रबन्ध अधिकारी के यहां से किया जावेगा।

(6) मौके पर जाने के बाद भूमापक/निरीक्षक द्वारा यात्रा-भत्ता बिल सम्बन्धित भू-प्रबन्ध अधिकारी के यहां ही प्रस्तुत किये जावेंगे। तथा बाद जांच भुगतान की कार्यवाही भी भू-प्रबन्ध अधिकारी स्तर से ही पूर्ण की जावेगी।

उक्त आदेश सीमांकन/पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित परिपत्रों/निर्देशों की निरन्तरता में जारी किया जाता है जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(हस्ताक्षर)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: समसंख्यक/ 1202-1249
दिनांक:- 12-4-2001

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
(1) श्रीमान शासन सचिव महोदय, (राजस्व) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
(2) जिला कलेक्टर [illegible] (3) भू-प्रबन्ध अधिकारी-[illegible] (4) लेखा शाखा/मु. का.

(हस्ताक्षर)
भू-प्रबन्ध आयुक्त.